राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभाग

क्रमांक प.10(13)प्रसु/टाइम्स/2015 जयपुर, दिनांकः 28.09.2015

जिला कलक्टर
अजमेर

विषयः- राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की शिकायतें जो Abeyance Category में निस्तारित की गई हैं के संबंध में मार्ग दर्शन बाबत।
संदर्भः- आपका पत्र क्रमांक 4304 दिनांक 10.07.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवदेनाओं/शिकायतों के निस्तारण के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही करावें:-

क्र. सं.	बिन्दु	स्पष्टीकरण/टिप्पणी
1.	पोर्टल पर प्राप्त ऐसे प्रकरण जिनमें नाले का निर्माण, सडक का डामरीकरण, हैण्डपम्प खुदवाना, सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य आदि जो बजट की डिमाण्ड के कारण लम्बित रहते हैं।	यदि प्रकरण विभाग की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तो उसके लिये चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त बजट राशि मिलने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अवगत करा दिया जावे प्रकरण विभाग की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। बजट आवंटन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है और इस प्रयोजनार्थ बजट राशि उपलब्ध होने पर ही कार्रवाई की जा सकती है।
2.	पोर्टल पर प्राप्त ऐसे प्रकरण जिनमें गांवों में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में प्रकरण लम्बित हैं।	रिक्त पदों के भरने के संबंध में प्राप्त प्रकरणों/शिकायतों को उनके प्रशासनिक विभाग/नियुक्त प्राधिकारी को भिजवाते हुए प्रार्थी को अवगत करा दिया जावे।
3.	पोर्टल पर प्राप्त ऐसे प्रकरण जिनमें विभिन्न विभागों हेतु नये भवन का निर्माण करवाया जाना है के कारण लम्बित हैं।	ऐसे प्रकरणों को नॉर्म्स एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच कर उसकी आवश्यकता को देखते हुए संबंधित प्रशासनिक विभाग को भिजवाते हुए प्रार्थी को अवगत कराया जावे।
4.	नवीन चिकित्सालय/विद्यालय/अन्य कार्यालय खोलने अथवा क्रमोन्नत करने की मांग।	ऐसे प्रकरणों में नॉर्म्स के अनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा परीक्षण किया जावे, और विभागीय निर्देशानुसार ही आवश्यक कार्यवाई कर प्रार्थी/शिकायतकर्ता को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जावे।

(राकेश वर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि : समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन उप सचिव